[**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ**]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 07/2023 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ.....(अ).– केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों, जो देय तारीख पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग**	**रकम**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है ।	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रति दिन ।
2.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है ।	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पचास रुपए प्रति दिन ।

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत

करने में असफल रहते है किन्तु 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में संदेय विलंब शुल्क की कुल रकम का अधित्यजन कर दिया जाएगा जो 10 हजार रुपए से अधिक है ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)

निदेशक